कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर।

ईमेल–cfoudn.ukfs@gmail.com,

पत्रांकः न–3 / एफ0एस0 / ऑनलाईन / 2021 दिनांक जून 23, 2021

स्वामी / प्रबन्धक
मै0 जी0डी0 गोयन्का पब्लिक स्कूल,
ग्राम हरियावाला काशीपुर,
ऊधम सिंह नगर।

विषय :– अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

आपके ऑनलाईन आवेदन यूआईडी नं0–57708313 दिनांक 09–06–2021 के अनुसार जी0डी0 गोयन्का पब्लिक स्कूल, ग्राम हरियावाला काशीपुर, ऊधम सिंह नगर की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन केन्द्र काशीपुर द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन केन्द्र काशीपुर की ऑनलाईन संस्तुति के अनुसार संस्थान में स्थापित अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं।

निर्देशित किया जाता है कि मानक के अनुसार 90 दिवस के भीतर प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक तल / उचित दूरी पर हॉजरील्स, 450 लीटर प्रतिमिनट क्षमता का टैरेस पम्प एवं प्रत्येक ब्लॉक में 10 हजार लीटर क्षमता का टैरेस टैंक का प्राविधान कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाना आवश्यक होगा अन्यथा यह अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा। साथ ही अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। इकाई के विस्तार / अतिरिक्त निर्माण करने पर तद्नुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।

अतः उपरोक्तानुसार मै0 जी0डी0 गोयन्का पब्लिक स्कूल, ग्राम हरियावाला काशीपुर, उधम सिंह नगर द्वारा निर्देशित समयावधि के भीतर उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाऐं सुनिश्चित किए जाने की स्थिती में ही यह अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 23 जून 2021 से 22 जून 2022 तक प्रभावी रहेगा। साथ ही निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगाः–

1– सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
2– आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
3– सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4– भवन / संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
5– संस्थान के विस्तार / अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानक के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होंगी।
6– विद्युत स्विच वोर्ड / विद्युत पैनल के आस–पास किसी भी प्रकार की सामाग्री का भण्डारण नही किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नही की जाएगी।
7– विद्यालय में कम्प्यूटर एवं अन्य लैब संचालित होने पर कम्प्यूटर लैब में एक अदद सीओटू एक्सटिंग्यूशर क्षमता 9.5 किग्रा0, अन्य लैब में एक अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 किग्रा0 मय 04 अदद सैण्ड बकेट तथा जनरेटर के पास एक अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 किग्रा मय 04 अदद सैण्ड बकेट के स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।

24/06/21
PRINCIPAL
G.D. GOENKA PUBLIC SCHOOL
KASHIPUR (U.S.Nagar) U.K.

वंश बहादुर यादव
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
ऊधम सिंह नगर